

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 5 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम समन्वयक, डा० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रांक- ए.के.टी.यू/कुस०का०/अधि०छात्रक०/2025-548, दिनांक 13.06.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्राप्त प्रस्तावों पर शासन स्तर पर गठित 05 सदस्यीय समिति की संस्तुति सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में रा0से0यो0 सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 में रा0से0यो0 सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईईटी)	100	100
2.	फार्मसी संकाय, AKTU	100	100
3.	वास्तुकला और योजना संकाय, AKTU	100	100
4.	प्रबंधन अध्ययन संकाय और एडवांस्ड अध्ययन केंद्र	100	100
5.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा	100	100
6.	कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एण्ड सोशल साइंसेज, सुलतानपुर	200	200
7.	नोएडा इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी ग्रेटर नोएडा	100	100
8.	आरडी इंजीनियरिंग कालेज AKTU	100	100

17/11

9	वी०एस०ए० कालेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी	100	100
10	बाबू मुन्दर सिंह कालेज ऑफ फार्मसी	100	100
11	मुरादाबाद इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
12	आई०आई०एम०टी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा	100	100
13	के०आई०आई०टी ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूशन गाजियाबाद	100	100
14	वंसल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी लखनऊ	100	100
15	पी०एस०आई०टी० प्रणवीर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी फार्मसी	100	100
16	आई०टी०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
17	कानपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
18	अंबालिका इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी	100	100
19	राजा बलवंत सिंह मेनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी कैंपस आगरा	100	100
20	कानपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड फार्मसी	100	100
21	विवेकानन्द कालेज ऑफ टेक्नोलोजी एंड मेनेजमेंट	100	100
22	इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड मेनेजमेंट अलीगढ़	100	100
23	पी०एस०आई०टी० प्रणवीर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
24	ए०वी०ई०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
25	ए०वी०ई०एस० बिजनेस स्कूल	100	100
26	आई०एम०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
27	राम देश इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा	100	100
	योग-	2800	2800

2- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा छात्र संख्या आवंटन के पश्चात पंजीकरण शुल्क एवं समस्त स्वयंसेवकों का डाटा शासन को दिनांक 20.12.2025 तक अवश्य प्रेषित कर दें।



- 4- विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।
- 5- भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट एवं ई-मेल के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6- इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ ×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।
- 7- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट बैंक खाता Current Account] Product Code- 5111-2171 के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों एवं विद्यालयों का सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (सी0एन0ए0) प्रणाली सडिसडी खाता (चालू खाता) शून्य धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में 01 सप्ताह के भीतर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, नहीं तो शासन स्तर से आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
- 8- वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाइयों को यह निर्देशित किया जाता है कि सामान्य एवं विशेष शिविर का आयोजन तथा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत समस्त स्वयंसेवकों का ऑन-लाइन पंजीकरण एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।


(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या-आवं0 53(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. अवर सचिव, युवा कार्य विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0यो0से0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं1 0, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर0एच-, अलीगंज, लखनऊ।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ० प्र०।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम समन्वयक, डा० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रांक- ए.के.टी.यू/कुस०का०/अधि०छात्रक०/2025-548, दिनांक 13.06.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति के परीक्षणोपरान्त संस्तुति सहित प्राप्त प्रस्तावों पर शासन स्तर पर गठित 05 सदस्यीय समिति की संस्तुति सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में रा0से0यो0 सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या	वित्तीय वर्ष 2025-26 में रा0से0यो0 सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईईटी)	100	100
2.	फार्मसी संकाय, AKTU	100	100
3.	वास्तुकला और योजना संकाय, AKTU	100	100
4.	प्रबंधन अध्ययन संकाय और एडवांस्ड अध्ययन केंद्र	100	100
5.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा	100	100
6.	कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एण्ड सोशल साइंसेज, सुलतानपुर	200	200
7.	नोएडा इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी ग्रेटर नोएडा	100	100
8.	आरडी इंजीनियरिंग कालेज AKTU	100	100

72

9	वी०एस०ए० कालेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी	100	100
10	वावू सुन्दर सिंह कालेज ऑफ फार्मसी	100	100
11	मुरादाबाद इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
12	आई०आई०एम०टी कालेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा	100	100
13	के०आई०आई०टी ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूशन गाजियाबाद	100	100
14	वंसल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी लखनऊ	100	100
15	पी०एस०आई०टी० प्रणवीर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी फार्मसी	100	100
16	आई०टी०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
17	कानपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
18	अंबालिका इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी	100	100
19	राजा बलवंत सिंह मेनेजमेंट एंड टेक्नोलोजी कैंपस आगरा	100	100
20	कानपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड फार्मसी	100	100
21	विवेकानन्द कालेज ऑफ टेक्नोलोजी एंड मेनेजमेंट	100	100
22	इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड मेनेजमेंट अलीगढ़	100	100
23	पी०एस०आई०टी० प्रणवीर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी	100	100
24	ए०वी०ई०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
25	ए०वी०ई०एस० विजनेस स्कूल	100	100
26	आई०एम०एस० इंजीनियरिंग कालेज	100	100
27	राम देश इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा	100	100
	योग-	2800	2800

2- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा छात्र संख्या आवंटन के पश्चात पंजीकरण शुल्क एवं समस्त स्वयंसेवकों का डाटा शासन को दिनांक 20.12.2025 तक अवश्य प्रेषित कर दें।



- 4- विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।
- 5- भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट एवं ई-मेल के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6- इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ ×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।
- 7- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट बैंक खाता Current Account] Product Code- 5111-2171 के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों एवं विद्यालयों का सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (सी0एन0ए0) प्रणाली सब्सिडी खाता (चालू खाता) शून्य धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में 01 सप्ताह के भीतर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, नहीं तो शासन स्तर से आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
- 8- वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाइयों को यह निर्देशित किया जाता है कि सामान्य एवं विशेष शिविर का आयोजन तथा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत समस्त स्वयंसेवकों का ऑन-लाइन पंजीकरण एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

संख्या-आवं0 53(1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. अवर सचिव, युवा कार्य विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0यो0से0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं1 0, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर0एच-, अलीगंज, लखनऊ।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ० प्र०।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० मंजू सिंह)

विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।